न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पं. मु. बघेरीकलां दि. 7-5-18

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर.ए.एस.

बैंच सदस्य :- श्री कमलेश शर्मा सेवा निवृत तहसीलदार

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
35	16-4-18	7-5-18

उनवान

1- रामकुमार

2- सुभाषचन्द

3- जयकरण

4- राकेश कुमार पुत्रान औमप्रकाश जाति जाट पंजाबी निवासी अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-वादीगण

बनाम

1- रतन पुत्र शंकरदास

2- छोटू पुत्र शंकरदास जाति जाट पंजाबी निवासी अलमदीका

3- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास :- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली लोकर अदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय बघेरीकलां पर पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:-

वादीगण ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. 462/0.6500 में से 02बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम अलमदीका वादीगण द्वारा जरिये रजि. बयनामा दिनांक 16-5-96 को प्रतिवादीगण सं. 1 रतन व 2 छोटू से खरीद कर दिनांक 7-1-97 को पंजीबद्ध कराया था वक्त खरीद से वादीगण काबिज काश्त है। प्रति. नं. 1, 2 ने अपने हिस्से पर बैंक लोन ले रखा था जिसकारण इन्तकाल सं. 1141 में अन्य विक्रेतागण के हिस्से का इन्तकाल मंजूर होगया परन्तु प्रति. नं. 1, 2 के हिस्से का इन्तकाल मंजूर नहीं किया गया। इसलिए वादीगण को वाद पेश करना लाजिम आया है।

अब प्रतिवादीगण ने अपना हिस्सा ऋण चुका कर फक करालिया है जिस पर अब कोई बैंक भार नहीं है। इसलिए उक्त आराजी का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अतः बाबत वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

उप जिला कलक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

§अ§ आ. ख. नं. 462/0.65 में से 02बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम अलमदीका का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति. नं. 1, 2 के नाम हो रहे गलत अंकन को हजफ किया जाकर वादीगण को समभाग में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

§ब§ खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रति. से दिलाया जावे ।

§स§ दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

आज पत्रावली लेकर अदालत में पेश होने पर पक्षकारान उपस्थित हुये प्रतिवादीगण ने शपथ पत्र पेश किया कि हमने उक्त आराजी का बेचान किया था जिस पर हमने लोन ले रखा था अब हमने बैंक लोन चुका दिया है। हमारे नाम का अंकन जमाबन्दी में गलत हो रहा है। वादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया जावे हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत पटवारी हल्का से भी रिपोर्ट लीगई जिसके अनुसार भी यह साबित है कि आराजी विवादित पर वादीगण वक्त खरीद से काबिज काश्त है। इसके अलावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत छांया प्रति बयनामा व इन्तकाल के अवलोकन से भी वाद की पुष्टि होती है। चूंकि प्रतिवादीगण ने वाद को स्वीकार किया है तथा प्रतिवागण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड से लेकर अदालत की भावना से वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश है कि:-

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आ. ख. नं. 462/0.6500 में से 02बीघा 08बिस्वा वाके ग्राम अलमदीका का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की जद तक जो अमल प्रतिवादीगण नं. 1, 2 के नाम का हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण को समभाग में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही अमलदरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो निर्णय लेकर अदालत में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास §अलवर§

Scanned by CamScanner

लय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

ुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
35	16.4.18	7.5.18

उनवान

1. रामकुमार
2. सुभाषचन्द
3. राकेश कुमार पुत्रान औमप्रकाश जाति जाट पंजाबी निवासी अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला अलवर। :–वादीगण:–

बनाम

1. रतन पुत्र शंकरदास
2. छोटू पुत्र शंकरदास जाति जाट पंजाबी निवासी अलमदीका
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास अलवर

:–प्रतिवादीगण:–

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट)

पर्चा डिकी

वाद वादीगण डिकी किया जाकर वादीगण को आ0ख0न0 462/0.6500 में से 02 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम अलमदीका का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की जद तक जो अमल प्रतिवादीगण नं0 1, 2, के नाम का अंकन हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण को समभाग में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैते है ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner